संख्या-109/2018/1751/71-2-2018-पी-36/2013

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0 के एपेक्स ट्रामा सेन्टर को अतिशीघ्र संचालित किये जाने हेतु पूर्व से सृजित जूनियर/सीनियर रेजीडेन्ट के पदों को समकक्षीय पदों में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- पी0जी0आई0/डी0आई0आर0-कैम्प/आर0एस0डी0/ए0टी0सी0/87/2018 दिनांक 15-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एपेक्स ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु जूनियर/सीनियर रेजीडेण्ट के पदों को अन्य समकक्षीय पदों में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

2- रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3609/71-2-2016-पी-36/2013, दिनांक 16-9-2016 द्वारा सीनियर रेजीडेण्ट के 150 पदों, वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड पे रू0-6600/- तथा जूनियर रेजीडेण्ट के 25 पदों, वेतनमान रू0 15600-39100 एवं ग्रेड पे रू0 5400/- में अस्थायी रूप से सृजित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ट्रामा सेन्टर के सुचारू रूप से संचालन हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 16-9-2016 द्वारा सृजित जूनियर रेजीडेण्ट के 25 पदों में से 15 पदों को एलोपैथिक मेडिकल आफीसर ग्रुप-बी में तथा सीनियर रेजीडेण्ट के 150 पदों में से 10 पदों को स्पेशियलिस्ट ग्रेड-3 के 10 पदों में परिवर्तित किये जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. परिवर्तित पदों को एस0जी0पी0जी0आई0 में पूर्व से विद्यमान कैडर संरचना के अंतर्गत ही रखा जायेगा, जिससे संस्थान में पृथक से नये कैडर का सृजन न हो सके तथा भविष्यमें प्रोन्नति, वेतन/भत्तों आदि की समस्या उतपन्न न हो।
2. परिवर्तित पदों का वेतनमान मूल सृजित पदों के वेतनमान के समान ही रखा जायेगा।
3. उक्त परिवर्तित पद (एलोपैथिक मेडिकल आफीसर ग्रुप-बी तथा स्पेशियलिस्ट ग्रेड-3) के धारक यदि 03 वर्ष के पश्चात स्वेच्छा से पद छोडकर चले जाते हैं, तो परिवर्तित पद पुनः सीनियर/जूनियर रेजीडेण्ट के रूप में वापस हो जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त शासनादेश दिनांक 16-9-2016 को इस सीमा तक संशोधित पढा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1618/दस-2018, दिनांक 11-07-2018 जुलाई, 2018 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-109/2018/1751(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।